



राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2021

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों) के आम चुनाव, माह अगस्त-सितम्बर, 2021 की घोषणा कर दी गई है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव तीन चरणों में सम्पन्न कराये जायेंगे। पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के प्रावधान अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ग के प्रावधान इन चुनाव में भी लागू होंगे। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के संलग्न कार्यक्रम के अनुसार संबंधित चुनाव क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नानुसार सूखा दिवस लागू करने का निर्देश प्रदान किया जाता है :-

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिये मतदान दिनांक 26.08.2021, 29.08.2021 एवं 01.09.2021 को होना है। प्रत्येक मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है।

इस प्रकार जहाँ प्रथम चरण में चुनाव होने है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 24.08.2021 को सांय 5:30 से दिनांक 26.08.2021 को सांय 5:30 बजे तक, द्वितीय चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न होने है उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 27.08.2021 को सांय 5:30 बजे से दिनांक 29.08.2021 को सांय 5:30 बजे तक एवं तृतीय चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न होने है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 30.08.2021 को सांय 5:30 से दिनांक 01.09.2021 को सांय 5:30 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2020/II/ 3792

दिनांक: 12.08.21

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर एवं सिराही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपसचिव 12/8/21

राज्य निर्वाचन आयोग